APP-A
Crim-I

FROM No. -III

फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी गुलाबपुरा मुकाम बांराटियॉ

कैलाश पिता लादू राम दर्जी **बनाम** **भैरु लाल पिता जगदीश जाट**
निवासी– गुलाबपुरा निवासी– हुरडा

किस्म मुकदमा–प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–128 रा.ले.रेवे. एक्ट प्रकरण संख्या–811/2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.06.2018	प्रार्थी के द्वारा यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि आराजी मुतदाविया प्रार्थी के खातेदारी की आराजियात हैं। मेरे पडौसी हरदम छोटी छोटी बात के लिये झगडते रहते है इसलिये मेरे खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाई जावें । हमने प्रार्थी को सुना। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 मौजा गुलाबपुरा प्रथम पटवार हल्का हुरडा मंगरा तहसील हुरडा की आराजी नं 5145/719, 5146/746 किता 2 रकबा 13 बीघा भूमि लादूराम पिता रामदयाल दर्जी के नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट आया है प्रार्थीगण उक्त आराजीयात की पत्थरगढी करवाना चाहता है किन्तु राजस्व रिकार्ड के अनुसार उक्त भूमि का प्रार्थी टिनेन्ट नही है , चूँकि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 128 के तहत वो ही व्यक्ति भूमि की पत्थरगढी करवा सकता है जो उक्त भूमि का टिनेन्ट हो , ऐसी स्थिति में प्रार्थी आराजीयात का खातेदार नही होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज योग्य है । –:आदेश:– प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है । पत्रावली शुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर करें। आदेश आज दिनांक 27.06.2018 को खुली अदालत में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गुलाबपुरा केम्प	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official